



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273941
CG-DL-E-30062026-273941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3367]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948

No. 3367]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

का.आ. 3502(अ.).—केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 112 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 4220 (अ.), दिनांक 17.09.2025 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले लोपित कार्यों को छोड़कर, सरकार, एतत् द्वारा परिषद की सिफारिशों पर, 31 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस तारीख तक, यथास्थिति, अपील या आवेदन, इस अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकरण के समक्ष उन सभी मामलों, जिनमें आदेश के खिलाफ अपील किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में दायर किया जा सकता है, जिन आदेशों को,

(i) दिनांक 01 मई, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है, और दिनांक 01 मई, 2026 को या उसके बाद सूचित आदेशों के संबंध में सभी अपीलों धारा 112 की उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार जिस तारीख को सूचित किया जाता है, उस तारीख से तीन माह के भीतर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेंगी,

(ii) दिनांक 1 फरवरी, 2026 से पहले पारित किया जाता है, और 1 फरवरी, 2026 को या उसके बाद पारित आदेशों के संबंध में सभी आवेदन धारा 112 की उप-धारा (3) में दिए गए अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष उस तारीख से छह महीने के भीतर दायर किए जा सकेंगे जिस दिन उक्त आदेश पारित किया गया है।

[फा. सं. ए-50/7/2025-जीस्टेट-डीओआर]

बालासुब्रह्मणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

S.O. 3502(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 112 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number S.O. 4220(E), dated the 17 September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 31st day of July, 2026, as the date upto which appeal or application, as the case may be, may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against, —

(i) is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of May, 2026, and all appeals in respect of order communicated on or after 1st May, 2026, may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (1) of section 112 within three months from the date on which such order is communicated;

(ii) is passed before the 1st day of February, 2026, and all applications in respect of orders passed on or after 1st February, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (3) of section 112 within six months from the date on which the said order has been passed.

[F. No. A-50/7/2025-GSTAT-DoR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.